तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.88/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.6.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी.रोड, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलेटी, आबूरोड, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 26.3.2022 को फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, करोली, तलेटी, आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विजय शर्मा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1768 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./915/Act/2022/902 दिनांक 06.4.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई दिनांक 26.5.2023 को प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी.रोड, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने यह व्यक्त किया कि मेरे द्वारा विक्रय करने हेतु सोहन पापडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) को खरीद किया था एवं मेरे द्वारा खरीद किये गये खाद्य पदार्थ सोहन पापडी में मेरे द्वारा कोई मिलावट नही की है एवं सेम्पल भी जिस अवस्था में क्रय किया था उसी अवस्था में भरा गया है। मेरे द्वारा खरीद किया गया माल फर्म राज ट्रेडर्स, आबूरोड़ से क्रय किया था जिसका बिल प्रस्तुत किया है। अतः उक्त प्रकरण का आज ही फैसला करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री [illegible] र शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिन[illegible] ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.88/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी. रोड, पी एण्ड टी, कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड के अन्दर आलमारी की रैक में विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकैट (प्रत्येक 450 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) विक्रेता/मैनेजर विजय शर्मा को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1768, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा सोहन पपडी (बिकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पेंहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगा कर नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.88/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 26.3.2022 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1768 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./915/Act/2022/902 दिनांक 06.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सहाबहार ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय शर्मा ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म मोर्डन इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में मैनेजर प्रतिवादी विजय शर्मा ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बिकाजी सदाबहार ब्राण्ड) के ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.88/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विक्रय हेतु फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म मोडर्न इन्सूलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलेटी, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26.7.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:45 IST
Reason: SelfAttested